रजिस्ट्री सं० डी०एल०--33004/96

REGD. NO. D.L.--33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 1996/माघ 13, 1917
No. 4] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 1996/ MAGHA 13, 1917

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1996

सं० ए-12024/1/90-टी ए जी.—सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 14 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार दिल्ली परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर० आर० सिंह का कार्यकाल दिनांक 3-2-96 के पश्चात् उनकी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 29-2-1996 तक बढ़ाती है ।

सी० एस० खैरवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 1996

No. A-12024/1/90-TAG.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 and Sub-section (1) of Section 14 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), the Central Government extends the tenure of Shri R.R. Singh as Chairman-cum-Managing Director of Delhi Transport Corporation beyond 3-2-1996 till the date of his superannuation i.e. 29-2-1996.

C. S. KHAIRWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 1996